पत्रांक-202 (प्र०)/आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

आर0 के0 सिंह,

प्रधान सचिव ।

सेवा में,

विशेष जिला पदाधिकारी,

अररिया, मधेपुरा ।

जिला पदाधिकारी,

सहरसा, सुपौल, पूर्णियाँ, मधेपुरा एवं अररिया ।

पटना-15, दिनांक- 5/9/08

विषय: बचाव एवं राहत कार्य योजना के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महाशय,

बाढ़ प्रभावित जिलों में बचाव एवं राहत कार्य के लिए योजनाबद्ध तरीका से काम करने के लिए कार्य योजना गठित की गई थी, जिसमें ऑपरेशनल सेन्टर (घाट) तथा उसके साथ संबंद्ध क्षेत्र अंकित है । इस कार्य के लिए सेना, कोस्टगार्ड, एन0डी0आर0एफ0, अद्धसैनिक बलों के बोट एवं कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया गया । जबतक breach बन्द नहीं कर दिया जाता है तब तक यह व्यवस्था अभी कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी । इस संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर निम्न निदेश दिये जाते हैं :-

1. ऑपरेशनल सेन्टर के प्रभारी अधिकारी प्रतिदिन संध्या में समीक्षा कर अंकित करें कि युनिटवार कौन-कौन ग्राम/पंचायत cover किये गये।
2. केन्द्र पर संचार सुव्यवस्थित रखने के लिए वितन्तु आवश्यक है।
3. सेना के कोस्ट गार्ड अथवा जिस संस्थान के कर्मियों की प्रतिनियुक्ति स्थल पर है, को आवासन एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराए जाएं ।
4. हर समय मोटर बोट के संचालन के लिए कम से कम तीन दिनों के लिए ईंधन उपलब्ध रहे - यह पाया गया था कि कहीं कहीं re-fuelling में विलंब हुआ।
5. ऐसे स्थलों पर मोटरबोट के संधारण हेतु मैकेनिक को रखना ।

6. कहीं कहीं units को निश्चित पंचायत ग्राम/पंचायत आवंटित नहीं थी। प्रत्येक टीम को एक चिन्हित कार्य क्षेत्र आवंटित रहना आवश्यक है ताकि responsibility specific हो।
7. केन्द्र के प्रभारी अधिकारी के द्वारा अगले दिन के अभियान की रूप रेखा एक दिन पूर्व बनाकर प्रतिनियुक्त टीम को उपलब्ध कराना ।

हाल में अभी पानी के बहाव में कमी आई है लेकिन यह संभावना है कि भविष्य में पानी का स्तर बढ़ सकता है । इसलिए कार्य योजना को कार्यरत रखना होगा और तैयार रहना होगा ।

अब जब बचाव का प्रथम दौर समाप्त हो गया तब यह भी आवश्यक हो गया है कि विभिन्न स्रोतों से प्राप्त संसाधनों का लेखा-जोखा लिया जाय जिससे कि भविष्य की कार्य योजना सुव्यवस्थित हो सके ।

विश्वासभाजन

(आर0 के0 सिंह)
प्रधान सचिव